ह०। [signature]

13/02/26 पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। प्रार्थी वकील की बहस सुनी जा चुकी है। लिखित बहस अनुसार प्रार्थी वकील के कथन रहे कि आराजी खाता सं. 253, 313, 544, 545, 546 वाके ग्राम बरौलीरान नदबई में स्थित है जिसमें प्रार्थी खातेदार काश्तकार का नाम अतिराम पुत्र वसन्ता जाति जाख निवासी बरौलीरान गलत अंकित है। जबकि प्रार्थी खातेदार काश्तकार के आधार कार्ड, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र व मूल निवास स्थान प्रमाण पत्र में प्रार्थी का सही नाम अतराम बौद्ध पुत्र वसन्ता बौद्ध जाति बौद्ध निवासी बरौलीरान अंकित है। अतः प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने की कृपा करें।

हमने बहस पत्र मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा तहसीलदार नदबई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट हाल जमांबदी संवत 2073 से 2076 में अतिराम पुत्र वसन्ता जाति जाख दर्ज रिकार्ड है एवं गत रिकार्ड में भी जाति जाख दर्ज है। मौका पर उपस्थित ग्रामवासियान से पूछने पर उन्होंने भी अतिराम पुत्र वसन्ता की जाति जाख होना ही बताया है। मुताबिक दस्तावेजात प्रार्थी का नाम अतराम बौद्ध पुत्र वसन्ता दर्ज है एवं ग्राम में भी अतराम बौद्ध के नाम

[signature]

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

श्रीमान उपखण्ड मजि० महोदय मुकाम नदबई (भरतपुर)

अतराम बोहरा बनाम राज० सरकार वगै०

दमा नम्बरी फौजदारी नं0 .... सन् 2028

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से पुकारा जाता है। मुताबिक जमांबदी में अतिराम एवं अन्य दस्तावेज में अतराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। ~~अत~~ हमने बहस पर मनन किया एवं तहसीलदार नदबई की रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया गया कि प्रा० पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी का नाम जमांबंदी के खाता सं. 253, 313, 544, 545, 546 वाके ग्राम बरौलीरान में अतिराम पुत्र बसन्ता जाति जाटव सा० बरौलीरान के स्थान पर अतराम बौद्ध पुत्र बसन्ता जाति बौद्ध सा० बरौलीरान अंकन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। प्रा० पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)	